229

संख्या–104/IX/09/2012

प्रेषक,

पी0सी0 शर्मा,
प्रमुख सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
राजकीय नागरिक उड्डयन विभाग
उत्तराखण्ड देहरादून।

परिवहन एवं नागरिक उड्डयन अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांक 25 अप्रैल 2012

विषय– **वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखानुदान के अन्तर्गत अवचनबद्ध मदों की आयोजनेत्तर पक्ष में दिनांक 01–04–2012 से दिनांक 31–07–2012 तक के लिये वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–3037/01(तीन)लेखा–बजट/12–13 दिनांक 23 अप्रैल, 2012 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2012–13 के लेखानुदान की मांगे स्वीकृत होने एवं तत्सम्बन्धी विनियोग अधिनियम 2012 के पारित होने के क्रम में वित्तीय वर्ष 2012–13 में दिनांक 01–04–2012 से दिनांक 31–07–2012 तक के लिये 04 माह के लेखानुदान की अधिष्ठान के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष की अवचनबद्ध मदों में आवश्यक व्यय हेतु कुल धनराशि रू0 15553 हजार (रू0 एक करोड़ पचपन लाख त्रैपन हजार मात्र) संलग्न विवरण के अनुसार आपके निर्वतन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

2– इस सम्बन्ध में व्यय करते समय बजट मैनुअल, वित्तीय हस्त पुस्तिका और स्टोर पर्चेज रूल्स,डी0जी0एस0 एण्ड डी0 अथवा टेण्डर/कोटेशन विषयक नियम मितव्यता के नियमों का समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जायेगा।

3– व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जाये जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है।

4– स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के शासनादेश संख्या 193/XXII(1)/2012 दिनांक 30–3–2012 के प्राविधानों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

5– स्वीकृत मदों के अन्तर्गत आहरण एवं व्यय किश्तों में वास्तविक व्यय आवश्यकता के आधार पर किया जायेगा तथा अतिरिक्त बजट की प्रत्याशा में अधिकृत धनराशि से अधिक धनराशि कदापि व्यय नही की जायेगी और न ही अधिक व्यय भार सृजित किया जायेगा।

6– उक्त मदों में व्यय के समय मितव्ययता का विशेष ध्यान रखा जायेगा और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि वर्ष प्रारम्भ में ही प्रत्येक मद के संबंध में मितव्ययता हेतु स्पष्ट योजना बना ली जायेगी

7– इस संम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011–12 के अनुदान संख्या–24 के लेखाशीर्षक–3053–नागर विमानन 80–सामान्य 003–प्रशिक्षण तथा शिक्षा 03–नागरिक उड्डयन–00 के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

8– यह आदेश अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या–193/XXII(1)/2011 दिनांक 30–3–2012 के अन्तर्गत निर्धारित निर्देशों के अनुसार जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।

संख्या–164(1)/IX/09/2012 तद्दिनांक।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबराय बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
2– प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3– जिलाधिकारी देहरादून।
4– मुख्य कोषाधिकारी, देहरादून।
5– वित्त अनुभाग–1/2, उत्तराखण्ड शासन।
6– एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(विनोद शर्मा)
अपर सचिव।

शासनादेश संख्या–104/IX/2012/09/2012 दिनांक 25 अप्रैल, 2012 का संलग्नक

अनुदान संख्या 24–
लेखाशीर्षक 3053–नागर विमानन–02–विमान पत्तन–102–हवाई अड्डा–80–सामान्य–003–प्रशिक्षण तथा शिक्षा–03–नागरिक उड्डयन–00

(धनराशि हजार रूपये में)

क्र. सं.	मानक मद	आवंटित धनराशि	योग
1.	05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	07	
2.	07–मानदेय	17	
3.	11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	13	
4.	12–कार्यालय फर्निचर एवं उपकरण	33	
5.	16–व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिये भुगतान	6,667	
6.	18–प्रकाशन	33	
7	21–छात्रवृतियों और छात्रवेतन	1	
8.	22–आतिथ्य व्यय विषयक भत्ता आदि	20	
9.	25–लघु निर्माण कार्य	1	
10.	26–मशीने और सज्जा/उपकरण और सयंत्र	27	
11.	29– अनुरक्षण	1667	
12.	31–सामग्री और सम्पूर्ति	2000	
13	42–अन्य व्यय	4000	
14.	44–प्रशिक्षण व्यय	167	
15.	45–अवकाश यात्रा व्यय	33	
16.	46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	33	
	योग	**14719**	**14719**
	अनुदान संख्या 24– लेखाशीर्षक 3053–नागर विमानन–02–विमान पत्तन–102–हवाई अड्डा– 03 हवाई पट्टियों का अनुरक्षण–00		
17.	29–अनुरक्षण	167	
	लेखाशीर्षक 3053–नागर विमानन आयोजनेत्तर–02–विमान पत्तन–102–हवाई अड्डा– 04 पर्वतीय क्षेत्र में स्थित हवाई पट्टियों की सुरक्षा व्यवस्था –00		
18.	02–मजदूरी	667	
	योग	**834**	**834**
	महायोग		**15553**

(रूपये एक करोड़ पचपन लाख त्रैपन हजार मात्र)

(पी0सी0 शर्मा)
प्रमुख सचिव।